

सेवा में,

श्रीमान मा० मुख् न्यायमुर्ति महोदय,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रार्थना पत्र वास्ते लिये जाने संज्ञान वाद सज्ञान
कराये जाने जांच व किये जाने कठोर कार्यवाही
दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध व दर्ज कराये जाने
प्रथम सूचना रिपोर्ट दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध।


महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी आशुतोष पाठक पुत्र श्री शेषकुमार पाठक
निवासी ग्राम अहलाद नगर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती का मूल निवासी
है, तथा पेशे से अधिवक्ता है।

महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि एक एफ०आई०आर० नं०
सिरसिया जनपद श्रावस्ती में जंगल चोरी की मु०नं० 218/10 पर पाठक
379, 411 आई०पी०सी० व 26 फारेस्ट ऐक्ट के तहत अभियुक्त रामकिशोर
पाठक के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी है। जिसकी विवेचना के उद्देश्य
चार्जशीट मा० न्यायालय को प्रेषित की गयी और मु०नं० 1312/2014 का
विचारण प्रारम्भ हुआ। दौरान विचारण अभियुक्त रामकिशोर पाठक ने सी० नुदा
150 बोटा सागौन की जंगली लकड़ी अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रार्थना
पत्र दिया और दिनांक 22.06.2010 को मा० सी०जे०एम० महोदय श्रावस्ती के
न्यायालय द्वारा 150 बोटा सागौन की जंगली लकड़ी को अभियुक्त की
सुपुर्दगी में दे दिया गया सुपुर्दगी के तुरन्त बाद ही उक्त लकड़ी को अभियुक्त
ने बेच दिया और दिनांक 06.12.2014 को अभियुक्त ने स्वयं जुर्म स्वीकार
न्यायालय पर किया तब मा० न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करवा हुये
अर्थदण्ड से दण्डित किया।

रामकिशोर पाठक एक राजा याप्ता व्यक्ति है और आये दिन जंगल
का नुकसान कर अवैध धन कमाना और लकड़ी का लालचदेकर अधिवक्ताओं
को अपने बश में कर ऐसा खेल प्रायः किया करते हैं और जिम्मेदार अधिकारी
इसका लाभ भी उठाते हैं। वर्तमान समय में राजा याप्ता व्यक्ति रामकिशोर

प्रियाप्रताप की
दिनांक 29/5/20
हेतु रिज के
02 बजे बयान
हेतु आइत किया
जावे।


29/5/20





पाठक का न्यायपालिका के निम्नकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मा इन् पर बराबर वार्ता चली करती है, जिससे वन विभाग की अपूर्णनीय क्षति एक साजिश के तहत होती है। इसका उदाहरण संलग्न आदेश की प्रति है जो एक जांच का विषय है।

अभियुक्त रामकिशोर पाठक आज भी न्याय पालिका श्रावस्ती के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का चहेता बना हुआ है, और बराबर इस प्रकार का कृत्य करता चला रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध कई रेन्ज केश (वन विभाग) भी हैं, जो वर्तमान के कुछ अधिकारियों के दबाव के कारण न्यायालय तक नहीं आ रहे हैं। और अभियुक्त बराबर उन्ही अधिकारियों के सहपर जंगल गोरे जैसे बड़े अपराध करता चला आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का संज्ञान कर गोपनीय जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने का आदेश प्रदान करे जिससे ऐसे वन माफिया पर अंकुश लग सकें महान् कृपा होगी।

प्रतिलिपि:- 1. मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ।

✓ मा0 जिला जज महोदय जनपद श्रावस्ती।

(A) 26/5/20

प्रार्थी

आशुतोष पाठक (एडवोकेट)

पुत्र श्री शेषकुमार पाठक

निवासी ग्राम अहलाद नगर

थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती

मो0नं0 9454896118

दिनांक:-26.05.2020

सूचना संख्या 218/2013 द्वारा 379/4 का दि. 26 फरवरी 2013
 जिला, नृसिंह प्रतियोगिता
 आयोजित किया गया है।
 86285

दिनांक 27/05/2013
 घटना का दिनांक व समय 27/05/2013

दिनांक रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, विभाग और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
16/3/13	बसु गाम अहमदाबाद जिला सिद्धपुरिया	27/05/2013

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा की जानी चाहिए।

दिनांक या नाम व स्थान	अभिमुक्त का नाम व निवास-स्थान	यहां सकल अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	संश्लेषण के कारणों में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी लेने का कारण	सूक्ष्मता का परिमाण
		3	4	5

सूचना देना 7-5-07 (229)-10,000 विमाने कम्प्यूटर/आय.सं. 377/...



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

W.A. - 200

प्रतिदिना... 06.12.2014

न्यायालय - सिविल जज अवर/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुस्तक...

सूचना संख्या 1312/2014

अपराध संख्या 218/2010

थाना सिराधिपा

द्वारा

373, 411 J.P.C त 26 F.A.d

सरकार

बनाम राम निशी

18
01.02.2020

b/o - 06.12.2014

अज्ञेय पत्र
(1/2000)

श्रीमान जी,
जिम्मेदार अधिकारी का कार्यालय

आपका दिनांक 01.02.2020 का पत्र प्राप्त हुआ है। मैंने इसे
आपके पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार पढ़ा है। मैंने इसे
आपके क्षेत्र के अधिकारी को दे दिया है।

आपका आभार



21/12/14 13/6

न्यायालय सिविल जज।अ0ख0।/ न्यायिक दण्डाधिकारी, शावरती
स्थान-मिनगा।
राज्य प्रति रामकिशोर पाठक
मु0नं0-1312/14

दिनांक 6.12.2014

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त रामकिशोर पाठक ने जून इकावाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त से कहा गया कि उसक द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे दण्डित किया जा सकता है जिस पर अभियुक्त ने अपनी सहमति व्यक्त किया। तदनुसार अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गयी दण्डित अभिलिखित की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन में स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध कथित बरामदगी होना बताया गया है। इस प्रकार धारा 411 भा0द0सं0 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित है। धारा 379 भा0द0सं0 का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बरामदगी 1500 रुपयों की लकड़ी बन सजा है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26 जन अधिनियम का भी अपराध साबित है।

आदेश :-

अभियुक्त रामकिशोर पाठक को धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 26 जन अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सजा अभियुक्त का कब्जा है कि मामला नये पुराना है तथा काफी दिनों से मुकदमों की पेशी में दीड़ रहा है। इस स्तर पर अभियुक्त को जेल न भेजकर उसे कम से कम जमाने से दण्डित किया जाये।

मानवों की परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा की गयी सहमति के अन्तर्गत सजा के अन्तर्गत निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

अभियुक्त रामकिशोर को धारा 411 भा0द0सं0 के अर्धीन दोषसिद्ध पाया जाए उसे जनसमाज में नशील की गयी अर्थात् एवं 2500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास योग्य है।

अभियुक्त को धारा 26 जन अधिनियम के अर्धीन दोषसिद्ध पाया जाए 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास योग्य है।

5/12/14
राज्य जज।अ0ख0।/अ0म0

शावरती।

Checked by
S. Kumar

03.02.2020



अभियुक्त प्रतिनिधि
राज्य प्रतिनिधि
विशेष न्यायाधीश
शावरती

शिकायती आवेदन पत्र द्वारा श्री शाशुतोष पाठक एडवोकेट पुत्र श्री शेष सुन्दर पाठक निवासी ग्राम अहमदनगर धाना तहसीला जनपद आवली के लेख में शिकायतकर्ता का बयान

आज श्री शाशुतोष पाठक एडवोकेट शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2020 के लेख में शिकायत बयान किया कि -
 मैं पेरो ले अधिकारकर्ता हूँ और जनपद आवली में वसला करता हूँ। श्री राम किशोर पाठक पुत्र श्री पुत्ती लाल ग्राम तिरिहिरि धाना तहसीला जनपद आवली के विक्रम अणुध लेखा 218/10 धारा 379, 411 भारतीय राज्य लेखिता व धारा 26 वन अधिनियम का मामला पंजीकृत हुआ था और उसका मुकदमा चला था जिसे दिनांक 22.06.2010 को तत्कालीन सी.जे.एम. आवली ने 150 बीघा सागौन की लकड़ी अभियुक्त की लुपुईगी में दे दी और दिनांक 06.12.2014 को जुलम स्वीकारोक्ति के आधार पर मामला निस्तारित कर दिया।

उक्त राम किशोर पाठक वर्तमान समय में सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद एवं उनके कार्यालय के कार्रवाई श्री विक्रम भाद्रव लिपिक के पास अकलर उठते बैठते हैं और उनके मोबाइलों पर वार्ता करते हैं। जिससे लापरवाह करके वन विभाग को अप्रुजनीय क्षति पहुँचाया जा रही है। उक्त राम किशोर पाठक उक्त सी.जे.एम. लखव एवं विक्रम भाद्रव लिपिक के चहेते हैं और इसी तरह पर जंगल में लकड़ी चोरी जैसे बड़े अपराध करते हैं।

के
 All
 ९

(2)

मैंने शिकायती आवेदन पत्र में भूलवश/दुष्प्र
की गलती के कारण शब्दों को एवं कर्मियों
शब्दों को लिखे हैं। भेरा। आशय केवल वर्तमान
समय में श्री शीलमा उताड सी.जे.एम. एवं श्री
शिवेंद्र भादव लिखित द्वारा उक्त राम किशोर पाठक
की मिली भगत से है।

मैंने उक्त शिकायती आवेदन पत्र माननीय
मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
को भेजा है और उसको एक प्रति माननीय प्रशासिक
न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ तथा
एक प्रति आपको भी भेजी है।

डेढ़ लौ बोरा लागौन की जमडी भविष्यी अभियुक्त
राम किशोर पाठक ने पुर्णवर्ग में लौने के बाद केच
दी थी।

अथवा मेरे बोलने पर मेरे
द्वारा द्वारा लिखित गया।

29/5/2020

D.J.

29-5-2020

हुनकर वकीलिया

29.05.2020

✓

२१०५२-१०५ - २०१३
९

प्रेषक,

मृदुलेश कुमार सिंह
जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

पत्रांक ९७७ / 2020

दिनांक 23.09.2020

विषय— श्री आशुतोष पाठक, एडवोकेट पुत्र श्री शेष कुमार पाठक द्वारा प्रेषित शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 26.05.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराया जाना है कि श्री आशुतोष पाठक पुत्र श्री शेष कुमार पाठक निवासी अहलादनगर, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती द्वारा एक शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 26.05.2020, अपराध संख्या 218/2010 धारा 379, 411 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 26 वन अधिनियम विरुद्ध श्री राम किशोर पाठक माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था तथा जिसकी एक प्रति माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ एवं एक प्रति मुझे भी पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी थी। उक्त आवेदनपत्र के साथ सम्बन्धित अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति एवं मामले में पारित आदेश दिनांकित 6.12.2014 की प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति भी संलग्न की गयी है।

शिकायती आवेदनपत्र के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता/आवेदक श्री आशुतोष पाठक एडवोकेट के बयान अंकित किये गये हैं जिसमें उन्होंने श्री शीतला प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उनके कार्यालय के लिपिक श्री विवेक यादव के विरुद्ध कथन किये हैं।

उक्त मामले में पुनः एक शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 8.6.2020 पंजीकृत डाक से दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त हुआ और पुनः आवेदक द्वारा प्रेषित शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 24.06.2020, जो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय को सम्बोधित है और जिसकी एक-एक प्रति माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा जिला जज श्रावस्ती एवं जिला वन अधिकारी बलरामपुर को भेजी गयी है।

७

.....2

९


२१८५०५०५ + $\frac{13}{10}$

2

अतः उक्त तीनों शिकायती आवेदनपत्र मूल रूप से एवं मेरे द्वारा अंकित किया गया परिवादी का बयान माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय

(मृदुलेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती

संलग्नक:-

- 1-शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 26.05.2020 मूल रूप में,
अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति,
पारित आदेश दिनांकित 6.12.2014 की प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति।
- 2-शिकायतकर्ता श्री आशुतोष पाठक का अंकित बयान।
- 3-शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 8.6.2020 मूल रूप में।
- 4- शिकायती आवेदनपत्र दिनांकित 24.06.2020 मूल रूप में।

